निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1935 (शo)

(सं0 पटना 262) पटना, शुक्रवार, 7 मार्च 2014

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 फरवरी 2014

सं0 वि०स०वि०-03/2014-703/वि०स०—''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2014'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2014

[वि०स०वि०-04/2014]

बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007)

का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना – चूँकि, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) 30वीं मार्च 2007 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बिहार पुलिस अधिनियम राज्य में प्रभावी है ;

और चूँकि, राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–1(ख) के अधीन इस अधिनियम के आरंभ की तिथि अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की धारा–1 (ख) का संशोधन करना आवश्यक एवं समीचीन है । इसके अलावे अधिनियम की धारा–97 की उप–धारा (3) में शब्द ''अधिनियम'' के स्थान पर ''नियम'' मुद्रित हो गया है जिसका संशोधन करना भी आवश्यक एवं समीचीन है।

भारत–गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह अधिनियम बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 30वीं मार्च, 2007 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा।

2. बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा–1 की उप–धारा (ख) का संशोधन। – बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 7, 2007) की धारा–1 में उप–धारा (ख) के लिये निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, और 30वीं मार्च 2007 के प्रभाव से प्रतिस्थापित मानी जाएगी, यथा :–

''(ख) यह 30वीं मार्च, 2007 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।''

3. बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा–97 में संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा 97 की उप–धारा (3) में उल्लेखित शब्द ''नियम'' शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. बिहार अधिनियम, 7, 2007 की धारा 97 के पश्चात् धारा 98 का अंतःस्थापन। – निम्नलिखित नई धारा–98 अंतःस्थापित की जायेगी, यथा –

''98 विधिमान्यकरण एवं व्यावृत्ति – (1) उक्त अधिनियम, 2007 की धारा–1 की उप–धारा (ख) एवं धारा 97 में ऐसा संशोधन होने पर भी इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, प्रकाशित की गई सभी अधिसूचनाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ, विहित किये गये प्रपत्र, परिभाषित स्थानीय अधिकारिता, पारित की गई सजा तथा पारित आदेश, नियम तथा की गई नियुक्तियाँ बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अधीन क्रमशः किये गये या की गयी, प्रकाशित, निर्गत, प्रदत्त, विहित, परिभाषित या पारित या की गयी मानी जाएंगी मानो बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि अर्थात् 30.03.2007 से लागू था और विधिमान्य माना जायेगा तथा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, हुआ, निर्गत, की गई इत्यादि मानी जायेगी।

(2) इस अधिनियम की कोई बात अथवा इसके द्वारा किये गये संशोधन उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इत्यादि को प्रभावित नहीं करेगी ओर न ही प्रभावित करने वाली मानी जायेगी।''

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) 30वीं मार्च, 2007 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और यह अधिनियम राज्य में प्रभावी है। बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-1 (ख) के अधीन इस अधिनियम के आरंभ की तिथि अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की धारा-1 (ख) का संशोधन करना आवश्यक एवं समीचीन है। इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों एवं की गई कार्रवाईयों का विधिमान्यकरण एवं व्यावृति करना आवश्यक है। इसके लिए अधिनियम में नई धारा-98 का अंत:स्थापन करना आवश्यक एवं समीचीन है। इसके अलावे अधिनियम की धारा-97 की उप-धारा (3) में शब्द ''अधिनियम'' के स्थान पर ''नियम'' मुद्रित हो गया है जिसका संशोधन करना भी आवश्यक एवं समीचीन है।

अधिनियम की धारा-1 (ख) के लिये नई उप-धारा प्रतिस्थापित करना, धारा-97 (3) में संशोधन तथा नई धारा-98 का अंत:स्थापन इसका मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(नीतीश कुमार)

भार साधक सदस्य

पटना,

दिनांक 21.02.2014

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 262-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in